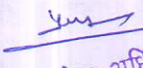


निरीक्षण आख्या

जनपद बागेश्वर अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 309 ए० के कि०मी० 133.00 से 170.00 (बेरीनाग-चकोड़ी-काण्डा-बागेश्वर-ताकुला) दो लेन में चौड़ीकरण हेतु 22.112 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव संख्या -151113/2022) में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आपने पत्रांक सं० 8B/UCP/06/73/2022/FC/1014 दिनांक 20.10.2022 द्वारा लगायी गयी EDS में लगायी गयी आपत्ति के बिन्दु संख्या 07 में After the DSS analysis of the CA area 19 ha area found MDF out of total 44.45 ha regarding MDF in CA areas, the certificate does not indicate that the area has been inspected by the concerned DFO. Therefore, the concerned DFO shall inspect all the CA areas and report whether the proposed CA areas are suitable for planting 1000 plants per ha or not. के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 17.01.2023 को वन क्षेत्राधिकारी बागेश्वर व धरमघर के साथ स्थलीय निरीक्षण किया गया।

उक्त प्रस्ताव हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण भूमि 1000 पौध प्रति है० रोपण हेतु उपयुक्त है। उक्त वन क्षेत्र Champion & Seth classification के अनुसार 8/c1b Upper or Himalayan Chir pine forest है। उक्त चयनित क्षेत्र में चीड़ के वृक्ष प्राकृतिक रूप से अवस्थित है व यह क्षेत्र चारों ओर से चीड़ के वन से घिरा हुआ है।

अतः बॉज, बुरास, काफल, देवदार अन्य प्रजातियों के रोपण हेतु उक्त क्षेत्र उपयुक्त नहीं है। किन्तु भारत सरकार द्वारा जारी Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 की गाइडलाईन के अनुसार उक्त क्षेत्र की native species (स्थानीय प्रजाति) जैसे चीड़ व उनकी सहचारी प्रजाति जो कि वनाग्नि से कम प्रभावित होती है का रोपण किया जाना आवश्यक होगा।


वन क्षेत्र अधिकारी
धरमघर वन क्षेत्र, धरमघर


वन क्षेत्राधिकारी
बागेश्वर वन क्षेत्र
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर


(हिमांशु बागरी)
प्रभागीय वन अधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर